सीएए - 2019

नागरिकता संशोधन अधिनियम २०१९ के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद हैं। यह विशेष रूप से उन कुछ न्यक्तियों के लिए हैं जो ३१ दिसंबर, २०१४ को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिन्दू या िस्व या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से हैं।

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, व्यक्ति १९५५ के नागरिकता अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का संदर्भ ले सकते हैं।

यहां, हम आपको संक्षेप में विभिन्न प्रावधान बताएंगे, प्रत्येक प्रावधान के लिए पात्रता, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए जाने वाले सहायक दस्तावेज और पासपोर्ट विवरण और वीजा या आवासीय परिमट के साथ कैसे आगे बढ़ें।

क्र.सं	अधिनियम में प्रावधान	समान्य शब्दों में
1	अ धनियम की धारा 5 (1) (क) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति द्वारा नागरिकता अ धनियम, 1955 की धारा 6ख के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण	भारतीय मूल का व्यक्ति
2	ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत के कसी नागरिक से ववाहित है या रहा है, जो नागरिकता अधिनयम, 1955 की धारा 5(1)(ग) के अधीन शर्तों को पूरा करता है, अधिनयम की धारा 6ख के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण	व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो
3	नागरिकता अ धनियम, 1955 की धारा 5(1)(घ) के अधीन शर्तों को पूरा करने वाले अप्राप्तवय बालक का अ धनियम की धारा 6ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण	भारतीय माता-पिता की नाबालिग संतान
4	कसी व्यक्ति द्वारा नागरिकता अधिनयम, 1955 की धारा 6ख के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन, जिसके माता- पता उस अधिनयम की धारा 5(1)(क) या धारा 6(1) के अधीन भारत के नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जो धारा 5(1)(ङ) के अधीन शर्तों को पूरा करता है	व्यक्ति जिसके माता-पिता, नागरिकता अधनियम, 1955 की धारा 5(1)(क) या धारा 6(1) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं
5	नागरिकता अधिनयम, 1955 की धारा ६ख के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा कया गया आवेदन, जो या जिसके माता या पता स्वतंत्र भारत का नागरिक था जो इस अधिनयम की धारा ५(१)(च) के अधीन शर्तों को पूरा करता है।	व्यक्ति जो स्वयं या उसके माता-पिता में से कोई एक पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था
6	कसी व्यक्ति, जो धारा 7 के अधीन भारतीय प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है एवं अधिनयम की धारा 5(1)(छ) के अधीन शर्तों को पूरा करता है, के द्वारा नागरिकता अधिनयम, 1955 की धारा 6ख के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन	
7	नागरिकता अधिनयम, 1955 की धारा 6ख के अधीन भारत के नागरिक के रूप में देशीयकरण	वयः प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का कोई व्यक्ति, जो आवेदन करने के ठीक बारह महीने पूर्व की सम्पूर्ण अव ध और उक्त अव ध के ठीक पूर्ववर्ती चौदह वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम पांच वर्ष (कुल मिलाकर) भारत में निवासी रहा है।

पात्रता मापदंड

- 1. व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसी एक देश का नागरिक होना चाहिए।
 - पाकिस्तान
 - अफगानिस्तान
 - बांग्लादेश
- 2. व्यक्ति संबंधित देश में निम्नलिखित अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
 - 🌣 हिंदू
 - सिख
 - ❖ जैन
 - ❖ बौद्ध
 - पारसी
 - ईसाई
- 3. व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना चाहिए।
- 4. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी हैं।
 - ❖ इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति भारतीय मूल का समझा जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में या ऐसे अन्य क्षेत्र में पैदा हुआ था जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया था।
 - ❖ खंड (क) के प्रयोजन के लिए आवेदक को भारत में साधारणतया निवासी माना जाएगा यदि-(1). पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले वह 12 महीने की अविध के दौरान भारत में रहा हैं। (11). वह 12 महीने की उक्त अविध से ठीक पहले 8 वर्षों के दौरान भारत में कम से कम 6 वर्ष की अविध के लिए रहा हो। आवेदकों को सलाह दी जाती हैं कि वे भारतीय नागरिकता के लिए अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान से देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

- 💠 अनुसूची १ए (अनुलग्नक १) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १ बी (अनुलग्नक २) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १ सी (अनुलग्नक ३) के प्रारूप में एक शपथ पत्र
- 💠 वैंध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 💠 वैंध या समाप्त आवासीय परमिट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- माता-पिता की जन्म-तिथि का साक्ष्य, अर्थात् पासपोर्ट या जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति । माता/पिता का पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में, आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें माता/पिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता स्पष्ट रूप से उपदर्शित हो।

दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- 💠 कृपया उपरोक्त दस्तावेजों को रुकैन करें और पीडीएफ प्रारूप में सहेजें।
- 💠 प्रत्येक दस्तावेज़ में कई पृष्ठ हो सकते हैं।
- 💠 प्रत्येक पीडीएफ दस्तावेज़ का आकार २०४८kb (2MB) से अधिक नहीं होना चाहिए।

अपतोड किए जाने वाती आवश्यक छवियाँ (Images)

- आवेदक को पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता है।
- आवेदक को हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता है।

छवि (Image) अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- पासपोर्ट आकार की तस्वीर का छवि आयाम केवल १०० (चौंड़ाई) * १२० (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए।
- ❖ हस्ताक्षर का छवि आयाम केवल 100 (चौंड़ाई) * 120 (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं हैं।
- ❖ छवि अपलोड करना केवल jpg प्रारूप में होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो छवियों का आकार बदलने के लिए Microsoft चित्र प्रबंधक का उपयोग करें।

पासपोर्ट विवरण, वीज़ा और छूट

1. पासपोर्ट विवरण (पासपोर्ट देश, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट तक मान्य):

पासपोर्ट विवरण वैकटिपक हैं।

- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - a. तो निम्नलिखित जानकारियों में से कोई भी ना भरे , (i)पासपोर्ट देश, (ii)पासपोर्ट नंबर, और (iii) पासपोर्ट वैधता की तारीख।
 - b. एक या दो फील्ड को भरकर शेष को खाली छोड़ना जायज़ (valid) नहीं है।
- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान किया जा रहा है:
 - i. यदि वैध या वैधता समाप्त पासपोर्ट उपलब्ध है, तो फॉर्म भरते समय उपरोक्त तीनों जानकारियों को प्रदान करें।

2. वीजा (वीजा तक मान्य):

"वीज़ा मान्य" फ़ील्ड वैकल्पिक है।

- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा हैं:
 - i. कैलेंडर से "वीज़ा वैध" के लिए कोई तिथि न चुनें।
- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान किया जा रहा हैं:
 - a. यदि वीजा उपलब्ध हैं और यह वैंध हैं, तो फॉर्म भरते समय "वैंध" फ़ील्ड के लिए कैंलेंडर से भविष्य की तारीख चुनें।
 - b. यदि वीजा उपलब्ध हैं लेकिन समाप्त हो गया हैं, तो फॉर्म भरते समय "वैध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से पिछली तिथि चुनें।

पात्रता मानदंड

- 1. व्यक्ति निम्नितिखित में से किसी एक देश का नागरिक।
 - पाकिस्तान
 - अफगानिस्तान
 - बांग्लादेश
- 2. व्यक्ति संबंधित देश में निम्नलिखित अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
 - 🌣 हिंदू
 - ❖ सिख
 - 🌣 जैन
 - बौद्ध
 - पारसी
 - ईसाई
- 3. व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना चाहिए।
- 4. एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से शादी की है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी हैं।
 - 💠 उपरोक्त के लिए एक आवेदक को भारत में सामान्य रूप से निवासी माना जाएगा यदि-
 - पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख से ठीक पहले वह 12 महीने की अविध के दौरान भारत में रहा है।
 - वह 12 महीने की उक्त अविध से ठीक पहले ८ वर्षों के दौरान भारत में कम से कम6 वर्ष की अविध के लिए रहा हो।

आवेदकों को सताह दी जाती है कि वे भारतीय नागरिकता के तिए अपनी पात्रता निर्धारित करने के तिए नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान से देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

- 💠 अनुसूची १ए (अनुलग्नक १) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १ बी (अनुलग्नक २) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १सी के अनुसार प्रारूप में एक शपथ पत्र (अनुलग्नक 3)
- 💠 वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 💠 वैध या समाप्त आवासीय परिमट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- ❖ उसके पित/उसकी पत्नी की भारतीय नागरिकता का साक्ष्य, अर्थात् भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति
- 🌣 विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति

दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- 💠 कृपया उपरोक्त दस्तावेजों को स्कैन करें और पीडीएफ प्रारूप में सहेजें।
- प्रत्येक दस्तावेज़ में कई पृष्ठ हो सकते हैं।
- 💠 प्रत्येक पीडीएफ दस्तावेज़ का आकार २०४८kb (2MB) से अधिक नहीं होना चाहिए।

अपलोड किए जाने वाली आवश्यक छवियाँ (Images)

- आवेदक को पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता है।
- आवेदक को हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता है।

छवि (Image) अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- पासपोर्ट आकार की तस्वीर का छवि आयाम केवल १०० (चौंड़ाई) * १२० (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए।
- ❖ हस्ताक्षर का छवि आयाम केवल 100 (चौड़ाई) * 120 (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं हैं।
- ❖ छवि अपलोड करना केवल jpg प्रारूप में होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो छवियों का आकार बदलने के लिए Microsoft चित्र प्रबंधक का उपयोग करें।

पासपोर्ट विवरण, वीजा और छूट

1. पासपोर्ट विवरण (पासपोर्ट देश, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट तक मान्य):

पासपोर्ट विवरण वैकित्पक हैं।

- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - i. तो निम्नलिखित जानकारियों में से कोई भी ना भरे , (i)पासपोर्ट देश, (ii)पासपोर्ट नंबर, और (iii) पासपोर्ट वैधता की तारीख |
 - ii. एक या दो फील्ड को भरकर शेष को खाली छोड़ना जायज़ (valid) नहीं है।
- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान किया जा रहा है:
 - i. यदि वैध या वैधता समाप्त पासपोर्ट उपलब्ध हैं, तो फॉर्म भरते समय उपरोक्त तीनों जानकारियों को प्रदान करें।

2. वीजा (वीजा तक मान्य):

"वीज़ा मान्य" फ़ील्ड वैकटिपक है।

- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - i. कैलेंडर से "वीज़ा वैध" के लिए कोई तिथि न चुनें।
- 💠 यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान किया जा रहा हैं:
 - i. यदि वीजा उपलब्ध है और यह वैध है, तो फॉर्म भरते समय "वैध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से भविष्य की तारीख चुनें।
- ii. यदि वीजा उपलब्ध है लेकिन समाप्त हो गया है, तो फॉर्म भरते समय "वैध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से पिछली तिथि चुनें।

पात्रता मानदंड

- 1. व्यक्ति निम्नतिखित में से किसी एक देश का नागरिक
 - पाकिस्तान
 - अफगानिस्तान
 - बांग्लादेश
- 2. व्यक्ति संबंधित देश में निम्नलिखित अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
 - 🌣 हिंदू,
 - **ः** सिख,
 - ❖ जैन,
 - बौद्ध,
 - पारसी,
 - 🌣 ईसाई
- 3. व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना चाहिए।
- ४. जिस व्यक्ति ने १८ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, उसे अप्राप्तवय माना जाता है।
 - 🌣 उन व्यक्तियों के अप्राप्तवय (नाबातिग) बच्चे जो भारत के नागरिक हैं।

आवेदकों को सलाह दी जाती हैं कि वे भारतीय नागरिकता के लिए अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान से देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

- 💠 अनुसूची १ए (अनुलग्नक १) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १ बी (अनुलग्नक २) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १सी के अनुसार प्रारूप में एक शपथ पत्र (अनुलग्नक 3)
- 💠 वैंध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 💠 वैंध या समाप्त आवासीय परिमट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- माता-पिता, दोनों की भारतीय नागरिकता का सबूत अर्थात् भारतीय पासपोर्ट/जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति
- अभिभावक के मामले में, संरक्षकता का सबूत संलग्न करें।

दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- 💠 कृपया उपरोक्त दस्तावेजों को रुकैन करें और पीडीएफ प्रारूप में सहेजें।
- प्रत्येक दस्तावेज़ में अनेक पृष्ठ हो सकते हैं.
- 💠 प्रत्येक पीडीएफ दस्तावेज़ का आकार २०४८kb (2MB) से अधिक नहीं होना चाहिए।

अपलोड किए जाने वाली आवश्यक छवियाँ (Images)

- आवेदक को पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता है।
- आवेदक को हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता है।

छवि (Image) अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- पासपोर्ट आकार की तस्वीर का छवि आयाम केवल १०० (चौड़ाई) * १२० (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए।
- ❖ हस्ताक्षर का छवि आयाम केवल 100 (चौड़ाई) * 120 (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं हैं।
- ❖ छवि अपलोड करना केवल jpg प्रारूप में होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो छवियों का आकार बदलने के लिए Microsoft चित्र प्रबंधक का उपयोग करें।

पासपोर्ट विवरण, वीजा और छूट

1. पासपोर्ट विवरण (पासपोर्ट देश, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट तक मान्य):

पासपोर्ट विवरण वैकल्पिक हैं।

- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - i. तो निम्नलिखित जानकारियों में से कोई भी ना भरे , (i)पासपोर्ट देश, (ii)पासपोर्ट नंबर, और (iii) पासपोर्ट वैधता की तारीख ।
 - ii. एक या दो फील्ड को भरकर शेष को खाली छोड़ना जायज़ (valid) नहीं हैं।
- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान किया जा रहा है:
 - i. यदि वैध या वैधता समाप्त पासपोर्ट उपलब्ध है, तो फॉर्म भरते समय उपरोक्त तीनों जानकारियों को प्रदान करें।

2. वीजा (वीजा तक मान्य):

"वीज़ा मान्य" फ़ील्ड वैकटिपक है।

- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा हैं:
 - i. कैलेंडर से "वीज़ा वैध" के लिए कोई तिथि न चुनें।
- 💠 यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान किया जा रहा हैं:
 - i. यदि वीजा उपलब्ध हैं और यह वैध हैं, तो फॉर्म भरते समय "वैध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से भविष्य की तारीख चुनें।
 - ii. यदि वीजा उपलब्ध हैं लेकिन समाप्त हो गया हैं, तो फॉर्म भरते समय "वैंध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से पिछली तिथि चुनें।

कसी व्यक्ति द्वारा नागरिकता अ धनियम, 1955 की धारा 6ख के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन, जिसके माता- पता उस अ धनियम की धारा 5(1)(क) या धारा 6(1) के अधीन भारत के नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जो धारा 5(1)(ङ) के अधीन शर्तों को पूरा करता है

पात्रता मानदंड

- 1. व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी एक देश का नागरिक
 - पाकिस्तान
 - अफगानिस्तान
 - बांग्लादेश
- 2. व्यक्ति संबंधित देश में निम्नलिखित अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
 - हिंदू
 - सिख
 - जैन
 - बौद्ध
 - पारसी
 - ईसाई
- 3. व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना चाहिए।
- 4. पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति जिनके माता-पिता धारा 5 (1) (ए) के तहत या धारा 6 (1) के तहत भारत के नागरिकों के रूप में पंजीकृत हैं।

पूर्ण आयु का अर्थ है 18 वर्ष और उससे अधिक आयु।

आवेदकों को सताह दी जाती हैं कि वे भारतीय नागरिकता के तिए अपनी पात्रता निर्धारित करने के तिए नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान से देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

- 🔅 अनुसूची १ए (अनुलग्नक १) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- अनुसूची 1 बी (अनुलग्नक 2) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- अनुसूची 1सी के अनुसार प्रारूप में एक शपथ पत्र (अनुलग्नक 3)
- वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 🌣 वैध या समाप्त आवासीय परमिट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- माता-पिता दोनों के नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(ए) या 6(1) के तहत जारी किए गए भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र की प्रतियां।

दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- 💠 कृपया उपरोक्त दस्तावेजों को स्कैन करें और पीडीएफ प्रारूप में सहेजें।
- 💠 प्रत्येक दस्तावेज़ में कई पृष्ठ हो सकते हैं।
- ❖ प्रत्येक पीडीएफ दुस्तावेज का आकार 2048kb(2MB) से अधिक नहीं होना चाहिए।

अपतोड किए जाने वाती आवश्यक छवियाँ (Images)

- आवेदक को पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता है।
- आवेदक को हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता है।

छवि (Image) अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- पासपोर्ट आकार की तस्वीर का छवि आयाम केवल १०० (चौड़ाई) * १२० (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए।
- ❖ हस्ताक्षर का छवि आयाम केवल 100 (चौंड़ाई) * 120 (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं हैं।
- ❖ छवि अपलोड करना केवल jpg प्रारूप में होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो छवियों का आकार बदलने के लिए Microsoft चित्र प्रबंधक का उपयोग करें।

पासपोर्ट विवरण, वीज़ा और छूट

1. पासपोर्ट विवरण (पासपोर्ट देश, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट तक मान्य):

पासपोर्ट विवरण वैकि्पक हैं।

- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - i. तो निम्नलिखित जानकारियों में से कोई भी ना भरे , (i)पासपोर्ट देश, (ii)पासपोर्ट नंबर, और (iii) पासपोर्ट वैधता की तारीख ।
 - ii. एक या दो फील्ड को भरकर शेष को खाली छोड़ना जायज़ (valid) नहीं है।
- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान किया जा रहा है:
 - i. यदि वैध या वैधता समाप्त पासपोर्ट उपलब्ध है, तो फॉर्म भरते समय उपरोक्त तीनों जानकारियों को प्रदान करें।

2. वीजा (वीजा तक मान्य):

"वीज़ा मान्य" फ़ील्ड वैकल्पिक है।

- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - i. कैलेंडर से "वीज़ा वैध" के लिए कोई तिथि न चुनें।
- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान किया जा रहा हैं:
 - i. यदि वीजा उपलब्ध हैं और यह वैंध हैं, तो फॉर्म भरते समय "वैंध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से भविष्य की तारीख चुनें।
 - ii. यदि वीजा उपलब्ध है लेकिन समाप्त हो गया है, तो फॉर्म भरते समय "वैध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से पिछली तिथि चुनें।

पात्रता मापदंड

- 1. व्यक्ति को निम्नतिखित में से किसी एक देश का नागरिक
 - पाकिस्तान
 - अफगानिस्तान
 - बांग्लादेश
- 2. व्यक्ति संबंधित देश में निम्नलिखित अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
 - ❖ हिंदू
 - ❖ सिख
 - 🌣 जैन
 - बौद्ध
 - पारसी
 - ईसाई
- 3. व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना चाहिए।
- 4. पूर्ण आयु और क्षमता का ब्यक्ति, या उसके माता-पिता में से कोई एक, पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था, और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले एक वर्ष से भारत में रह रहा हो।
 - 💠 पूर्ण आयु का अर्थ है १८ वर्ष और उससे अधिक की आयु ।
 - एक वर्ष के प्रवास का अर्थ हैं भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 1 वर्ष की अविध के लिए निरंतर प्रवास ।

आवेदकों को सताह दी जाती हैं कि वे भारतीय नागरिकता के तिए अपनी पात्रता निर्धारित करने के तिए नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों को ध्यान से पढ़ें।

आवश्यक दस्तावेज

दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक हैं

- 💠 अनुसूची १ए (अनुलग्नक १) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १ बी (अनुलग्नक २) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १ सी (अनुलग्नक ३) के प्रारूप में एक शपथ पत्र
- 💠 वैंध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- 💠 वैंध या समाप्त आवासीय परमिट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- वह साक्ष्य जो आवेदक या उसके माता या पिता में से कोई स्वतंत्र भारत का नागरिक था, अर्थात् पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति.

दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- 💠 कृपया उपरोक्त दस्तावेजों को रकैन करें और पीडीएफ प्रारूप में सहेजें।
- प्रत्येक दस्तावेज़ में कई पृष्ठ हो सकते हैं।
- ❖ प्रत्येक पीडीएफ दस्तावेज़ का आकार 2048kb(2MB) से अधिक नहीं होना चाहिए।

अपलोड किए जाने वाली आवश्यक छवियाँ (Images)

- आवेदक को पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता है।
- 💠 आवेदक को हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता है।

छवि (Image) अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- पासपोर्ट आकार की तस्वीर का छवि आयाम केवल १०० (चौड़ाई) * १२० (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए।
- ❖ हस्ताक्षर का छवि आयाम केवल 100 (चौड़ाई) * 120 (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं हैं।
- ❖ छवि अपलोड करना केवल jpg प्रारूप में होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो छवियों का आकार बदलने के लिए Microsoft चित्र प्रबंधक का उपयोग करें।

पासपोर्ट विवरण, वीज़ा और छूट

1. पासपोर्ट विवरण (पासपोर्ट देश, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट तक मान्य):

पासपोर्ट विवरण वैकित्पक हैं।

- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - i. तो निम्नलिखित जानकारियों में से कोई भी ना भरे , (i)पासपोर्ट देश, (ii)पासपोर्ट नंबर, और (iii) पासपोर्ट वैधता की तारीख ।
 - ii. एक या दो फील्ड को भरकर शेष को खाली छोड़ना जायज़ (valid) नहीं है।
- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान किया जा रहा है:
 - i. यदि वैध या वैधता समाप्त पासपोर्ट उपलब्ध हैं, तो फॉर्म भरते समय उपरोक्त तीनों जानकारियों को प्रदान करें।

2. वीजा (वीजा तक मान्य):

"वीज़ा मान्य" फ़ील्ड वैकल्पिक है।

- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - i. कैलेंडर से "वीज़ा वैध" के लिए कोई तिथि न चुनें।
- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान किया जा रहा हैं:
 - i. यदि वीजा उपलब्ध हैं और यह वैंध हैं, तो फॉर्म भरते समय "वैंध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से भविष्य की तारीख चुनें।
 - ii. यदि वीजा उपलब्ध है लेकिन समाप्त हो गया है, तो फॉर्म भरते समय "वैध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से पिछली तिथि चुनें।

किसी व्यक्ति, जो धारा ७ के अधीन भारतीय प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं एवं अधिनियम की धारा ५(१)(छ) के अधीन भार्तों को पूरा करता हैं, के द्वारा नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा ६२व के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

पात्रता मापदंड

- १. व्यक्ति निम्नतिखित देश का राष्ट्रीय होना चाहिए।
 - अफगानिस्तान
- 2. व्यक्ति संबंधित देश में निम्नलिखित अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
 - ❖ हिंदू
 - श्रिख
 - ❖ जैन
 - बौद्ध
 - पारसी
 - 🌣 ईसाई
- 3. व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना चाहिए।
- 4. पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जो पांच साल से भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, और जो आवेदन करने से पहले एक वर्ष से भारत में रह रहा हो।
 - 💠 पूर्ण आयु का अर्थ है १८ वर्ष और उससे अधिक की आयु।
 - 💠 ओसीआई कार्ड कम से कम ५ वर्ष पुराना होना चाहिए।

आवेदकों को सताह दी जाती हैं कि वे भारतीय नागरिकता के तिए अपनी पात्रता निर्धारित करने के तिए नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों को ध्यान से पढ़ें।

आवश्यक दस्तावेज

दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है

- 💠 अनुसूची १ए (अनुलग्नक 1) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १ बी (अनुलग्नक २) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- अनुसूची १सी के अनुसार प्रारूप में एक शपथ पत्र (संलग्नक वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट की प्रति, यदि उपलब्ध हो तो ३ए)
- धारा ७ए के तहत भारत के कार्डधारक के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति

दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- 💠 कृपया उपरोक्त दस्तावेजों को स्कैन करें और पीडीएफ प्रारूप में सहेजें।
- 💠 प्रत्येक दस्तावेज़ में कई पृष्ठ हो सकते हैं।

❖ प्रत्येक पीडीएफ दस्तावेज़ का आकार 2048kb(2MB) से अधिक नहीं होना चाहिए।

अपलोड किए जाने वाली आवश्यक छवियाँ (Images)

- आवेदक को पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता है।
- आवेदक को हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता है।

छवि (Image) अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- पासपोर्ट आकार की तस्वीर का छवि आयाम केवल १०० (चौड़ाई) * १२० (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए।
- ❖ हस्ताक्षर का छवि आयाम केवल 100 (चौड़ाई) * 120 (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं हैं।
- ❖ छवि अपलोड करना केवल jpg प्रारूप में होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो छवियों का आकार बदलने के लिए Microsoft चित्र प्रबंधक का उपयोग करें।

पासपोर्ट विवरण, वीज़ा और छूट

1. पासपोर्ट विवरण (पासपोर्ट देश, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट तक मान्य):

पासपोर्ट विवरण वैकित्पक हैं।

- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - i. तो निम्नित्यित जानकारियों में से कोई भी ना भरे , (i)पासपोर्ट देश, (ii)पासपोर्ट नंबर, और (iii) पासपोर्ट वैधता की तारीख |
 - ii. एक या दो फील्ड को भरकर शेष को खाली छोड़ना जायज़ (valid) नहीं है।
- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान किया जा रहा है:
 - i. यदि वैध या वैधता समाप्त पासपोर्ट उपलब्ध है, तो फॉर्म भरते समय उपरोक्त तीनों जानकारियों को प्रदान करें।
- 2. वीजा (वीजा तक मान्य):

"वीज़ा मान्य" फ़ील्ड वैकल्पिक है।

- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - i. कैलेंडर से "वीज़ा वैध" के लिए कोई तिथि न चुनें।
- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान किया जा रहा है:

- यदि वीजा उपलब्ध है और यह वैध है, तो फॉर्म भरते समय "वैध" i.
- फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से भविष्य की तारीख चुनें। यदि वीजा उपलब्ध हैं लेकिन समाप्त हो गया हैं, तो फॉर्म भरते समय "वैध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से पिछली तिथि चुनें। ii.

पात्रता मापदंड

- 1. व्यक्ति को निम्नतिखित में से किसी एक देश का नागरिक
 - पाकिस्तान
 - अफगानिस्तान
 - बांग्लादेश
- 2. व्यक्ति संबंधित देश में निम्नलिखित अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
 - ❖ हिंदू
 - ❖ सिख
 - 🌣 जैन
 - बौद्ध
 - पारसी
 - ईसाई
- 3. व्यक्ति को 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया होना चाहिए।
- 4. पूर्ण आयु और क्षमता वाला व्यक्ति इस धारा के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता हैं। एक व्यक्ति देशीयकरण के तहत योग्य हैं यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हैं:
 - वह आवेदन की तारीख़ से ठीक पहले 12 महीने की अविध के दौरान या तो भारत में रहा हो या भारत में सरकार की सेवा में रहा हो या आंशिक रूप से एक और आंशिक रूप से दूसरे में रहा हो।
 - चयः प्राप्त और पूर्ण सामर्श्य का कोई व्यक्ति, जो आवेदन करने के ठीक बारह महीने पूर्व की सम्पूर्ण अविध और उक्त अविध के ठीक पूर्ववर्ती चौंद्रह वर्ष की अविध के दौरान कम से कम पांच वर्ष (कुल मिलाकर) भारत में निवासी रहा है।
 - 💠 वह अच्छे चरित्र का हो।
 - 💠 उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा का पर्याप्त ज्ञान है।

आवेदकों को सताह दी जाती है कि वे भारतीय नागरिकता के तिए अपनी पात्रता निर्धारित करने के तिए नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों को ध्यान से पढ़ें।

आवश्यक दस्तावेज

दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक हैं

- 💠 अनुसूची १ए (अनुलग्नक १) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १ बी (अनुलग्नक २) में से किसी एक दस्तावेज़ की एक प्रति
- 💠 अनुसूची १ सी (अनुलग्नक ३) के प्रारूप में एक शपथ पत्र
- 💠 वैंध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो
- वैध या समाप्त आवासीय प्रसिट की एक प्रति, यदि उपलब्ध हो

आवेदन पत्र में उपलब्ध निर्धारित भाषा में स्वयं (आवेदक) से एक शपथ पत्र और एक भारतीय नागरिक से आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला एक शपथ पत्र

दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- 💠 कृपया उपरोक्त दस्तावेजों को रुकैन करें और पीडीएफ प्रारूप में सहेजें।
- 💠 प्रत्येक दस्तावेज़ में कई पृष्ठ हो सकते हैं।
- 💠 प्रत्येक पीडीएफ दस्तावेज़ का आकार २०४८kb(2MB) से अधिक नहीं होना चाहिए।

अपलोड किए जाने वाली आवश्यक छवियाँ (Images)

- आवेदक को पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता है।
- 💠 आवेदक को हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता है।

छवि (Image) अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- पासपोर्ट आकार की तस्वीर का छवि आयाम केवल १०० (चौड़ाई) * १२० (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए।
- ❖ हस्ताक्षर का छवि आयाम केवल 100 (चौड़ाई) * 120 (ऊंचाई) पिक्सेल होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं हैं।
- ❖ छवि अपलोड करना केवल jpg प्रारूप में होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो छवियों का आकार बदलने के लिए Microsoft चित्र प्रबंधक का उपयोग करें।

पासपोर्ट विवरण, वीज़ा और छूट

1. पासपोर्ट विवरण (पासपोर्ट देश, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट तक मान्य):

पासपोर्ट विवरण वैकल्पिक हैं।

- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है:
 - i. तो निम्नलिखित जानकारियों में से कोई भी ना भरे , (i)पासपोर्ट देश, (ii)पासपोर्ट नंबर, और (iii) पासपोर्ट वैधता की तारीख ।
 - ii. एक या दो फील्ड को भरकर शेष को खाली छोड़ना जायज़ (valid) नहीं हैं।
- यदि पासपोर्ट विवरण प्रदान किया जा रहा है:
 - i. यदि वैध या वैधता समाप्त पासपोर्ट उपलब्ध हैं, तो फॉर्म भरते समय उपरोक्त तीनों जानकारियों को प्रदान करें।

2. वीजा (वीजा तक मान्य):

"वीज़ा मान्य" फ़ील्ड वैकल्पिक हैं।

- यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा हैं:
 - i. कैलेंडर से "वीज़ा वैध" के लिए कोई तिथि न चुनें।
- 💠 यदि वीजा (वीजा तक मान्य) विवरण प्रदान किया जा रहा हैं:
 - i. यदि वीजा उपलब्ध है और यह वैध है, तो फॉर्म भरते समय "वैध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से भविष्य की तारीख चुनें।
 - ii. यदि वीजा उपलब्ध है लेकिन समाप्त हो गया है, तो फॉर्म भरते समय "वैध" फ़ील्ड के लिए कैलेंडर से पिछली तिथि चुनें।

अनुलग्नक- १

अनुसूची १ए

[नियम १०ए देखें] नागरिकता नियम, २००९

यह साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक हैं [धारा ६ बी के तहत आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लिए]

- १. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
- 2. भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट
- 3. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- 4. अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या वश्व वद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र
- 5. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
- ६. अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
- ७. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड
- 8. कोई भी दस्तावेज़ जो दर्शाता हैं कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई एक तीन देशों यानी अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक हैं या रहा हैं।
- 9. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं

नोट: उपरोक्त दस्तावेज़ उनकी वैधता अविध के बाद भी स्वीकार्य होंगे।

अनुसन्चि २ अनुसूची १बी [नियम १०ए देखें] नागरिकता नियम, २००९

यह साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची कि आवेदक ने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हैं [धारा ६ बी के तहत आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लिए]

१. भारत आगमन पर वीज़ा और आव्रजन टिकट की प्रति
2. भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट
3. भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा जनगणना संबंधी सर्वेक्षण करते समय ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची
४. भारत में सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाणपत्र या परमिट (ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि सहित)
५. आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
6. सरकार या न्यायातय द्वारा आवेदक को आधिकारिक मुहर के साथ जारी किया गया कोई भी पत्र
७. आवेदक का भारत में जारी जन्म प्रमाण पत्र
8. आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड या पंजीकृत किराये का समझौता
9. पैंन कार्ड जारी करने का दस्तावेज़ जिसमें जारी होने की तारीख अंकित हो
10. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी वित्तीय संस्थान जैसे बैंक या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज़
११. किसी ब्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
12. आवेदक के नाम पर बैंकों (निजी बैंकों सहित) या डाकघर खातों से संबंधित रिकॉर्ड और खाता विवरण
१३. भारत में बीमा कंपनियों द्वारा आवेदक के नाम पर जारी बीमा पॉतिसियाँ
14. आवेदक के नाम पर बिजली कनेक्शन के कागजात या बिजली बिल या अन्य उपयोगिता बिल
१५. आवेदक के संबंध में भारत में न्यायालय या न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड या प्रक्रियाएं
१६. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)/सामान्य भविष्य निधि/पेंशन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) दस्तावेजों द्वारा समर्थित भारत में किसी भी नियोक्ता के तहत सेवा या रोजगार दिखाने वाला दस्तावेज़

१७. आवेदक का भारत में जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र

- 18. किसी स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान द्वारा जारी श्रैक्षणिक प्रमाण पत्र
- १९. आवेदक को जारी किया गया नगरपातिका न्यापार लाइसेंस
- २०. विवाह प्रमाणपत्र
 - नोट: (i) उपरोक्त दस्तावेज एक भारतीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने चाहिए और उनकी वैंधता अविंध से परे भी स्वीकार्य होंगे
 - (ii) दस्तावेजों को यह स्थापित करना चाहिए कि आवेदक ने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था

अनुलग्नक- 3

Schedule 1C

[Refer rule 10A]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

Specimen of the Affidavit to be sworn before and attested by a judicial Magistrate or an Executive Magistrate or an Oath Commissioner or a Notary Public to be submitted along with the application [To be executed on non-judicial stamp paper of rupees Ten]

SCHEDULE 1C

AFFIDAVIT

I,
(i) That I am an Afghan/ Bangladeshi/ Pakistani national belonging to Hindu/ Sikh/
Buddhist/ Jain/Parsi/ Christian community in that country (<i>strike out whichever is not applicable</i>) on the date of my entry into India and continue to belong to this community on the date of submission of this application was residing at (write full postal address in that country). An Eligibility Certificate* from a locally reputed community institution is enclosed.
(ii) That I am exempted by the Central Government under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 and from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder in terms of
Ministry of Home Affairs Notification No.
G.S.R. 685(E) and Order No, G.S.R. 686(E) dated 07.09.2015 and Notification No. G.S.R. 702(E) and Order No. G.S.R. 703(E) dated 18.07.2016.
(iii) That I entered into India on(Date, month and year to be given as available)

(iv) I am aware that it is an offence under the Citizenship Act, 1955 to make a false representation or concealment of any material fact and that if it is found later that wrong information has been furnished by me in this Affidavit and/ or in the Eligibility Certificate, I

shall be deprived of my Indian citizenship abinitio.

VERIFICATION

Verified at
DEPONENT
Attestation with stamp
*ELIGIBILITY CERTIFICATE
(Format of the Eligibility Certificate from the locally reputed community institution)
TO WHOMSOVER IT MAY CONCERN
I
Date: Place
(Signature)
Name of person giving the certificate Name and address of the community InstitutionTelephone/ Mobile No.:

CAA - 2019

A special provision exists for the submission of applications for Indian Citizenship under the Citizenship Amendment Act of 2019. It is specifically for individuals who entered India on or before 31st December, 2014, and belonging to **Hindu or Sikh or Buddhist or Jain or Parsi or Christian community from** Pakistan or Afghanistan or Bangladesh.

For more detailed information, individuals may refer to the provisions outlined in the Citizenship Act of 1955.

Here, we will show you the different provisions in a nut shell, the eligibility for each of the provision, the supporting documents that are required to be uploaded while filling the form in online and how to go about with passport particulars and visa or residential permit.

SI. No	Provision	In simple terms
1	Registration as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955 made by a person of Indian origin fulfilling the conditions under Section 5(1)(a) of the Act	A person of Indian Origin
2	Registration as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955 made by a person who is/has been married to a citizen of India fulfilling the conditions under Section 5(1)(c) of the Act	A person married to Indian Citizen
3	Registration of a minor child under Section 6B of the citizenship act, 1955 fulfilling the conditions under Section 5(1)(d) of the Act	Minor child of Indian Parents
4	Registration as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955 made by a person whose parents are registered as citizens of India under Section 5(1)(a) or Section 6(1) fulfilling the conditions under Section 5(1)(e) of the Act	A person whose parents are registered or naturalized as Citizens of India
5	Registration as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955 made by a person who or either of the parents was a citizen of independent India fulfilling the conditions under Section 5(1)(f) of the Act	A person who himself or either of his/her parents was earlier citizen of Independent India.
6	Registration as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955 made by a person who is registered as an overseas citizen of India cardholder under Section 7a fulfilling the conditions under Section 5(1)(g) of the Act	A person who is registered as overseas Citizen of India Cardholder
7	Naturalization as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955	A person of full age and capacity residing in India continuously for twelve months before making application and for five years (in aggregate) during a period of fourteen years preceding the aforesaid period of twelve months before making applications.

Registration as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955 made by a person of Indian origin fulfilling the conditions under Section 5(1)(a) of the Act

Eligibility Criteria

- 1. Person must be national of any one of the following countries.
 - Pakistan
 - ❖ Afghanistan
 - Bangladesh
- 2. Person belongs to any one of the following minority communities in the respective country.
 - Hindu
 - Sikh
 - !ain
 - Buddhist
 - Parsi
 - Christian
- 3. Person must have been entered in India on or before 31st December, 2014.
- 4. Person of Indian origin who are ordinarily resident in India for seven years before making an application for registration.
 - ❖ For the purpose of this subsection, a person shall be deemed to be of Indian origin if he, or either of his parents, was born in undivided India or in such other territory which became part of India after the 15th day of August, 1947.
 - ❖ For the purpose of clause (a) an applicant shall be deemed to be ordinarily resident in India if-
 - I. He has resided in India throughout the period of 12 months immediately before making an application for registration; and
 - II. He has resided in India during the 8 years immediately preceding the said period of 12 months for a period of not less than 6 years.

The applicants are advised to carefully go through the provisions of the Citizenship Act, 1955 and rules framed there under to determine their eligibility for Indian citizenship.

Required Documents

Documents required to be uploaded

- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1A (Annexure 1)
- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1B (Annexure 2)
- ❖ An Affidavit in format as in Schedule 1C (Annexure 3)
- ❖ A copy of the valid or expired Foreign Passport, If available
- ❖ A copy of the valid or expired Residential Permit, If available
- Evidence of the date of birth of the parents viz. a copy of the passport or birth certificate. (In case of non-availability of passport of mother/father, birth certificate of the applicant clearly indicating the name, address and nationality of mother/father)

Guidelines for uploading documents

- ❖ Please Scan the above documents and save in PDF format.
- ❖ Each Document can contain multiple pages.
- ❖ Each PDF Document should not exceed size more than 2048kb(2MB).

Images required to be uploaded

- ❖ Applicant requires uploading passport size photograph.
- ❖ Applicant requires uploading signature.

Guidelines for Uploading Images

- Image Dimension of passport size photograph should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- Image Dimension of signature should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- ❖ Ensure that the size of the scanned image is not more than 20kb.
- Uploading images should be in jpg format only.
- ❖ Use the Microsoft picture manager for resizing the images if necessary.

Passport particulars, visa and exemptions

1. Passport particulars (Passport country, Passport Number and Passport valid up to):

Passport particulars are optional.

- In case passport particulars are not being provided:
 - a. Do not select from the Passport Country, do not enter Passport Number, and do not choose date for Passport Valid Up To.
 - b. It is not permissible to fill one or two fields while leaving rest blank.
- In case of passport particulars are being provided:
 - c. If passport is available and it is valid, provide all three of them while filling the form.
 - d. If passport is available but expired, provide all three of them while filling the form.
- 2. Visa (Visa Valid up to):

"Visa Valid up to" field is optional.

- In case of "Visa Valid up to" is not being provided:
 - a. Do not choose any date for "Visa Valid up to" from calendar.
- ❖ In case of "Visa Valid up to" is being provided:
 - b. If visa is available and it is valid, choose future date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.
 - c. If visa is available but expired, choose past date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.

Registration as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955 made by a person who is/has been married to a citizen of India fulfilling the conditions under Section 5(1)(c) of the Act

Eligibility Criteria

- 1. Person must be national of any one of the following countries.
 - Pakistan
 - Afghanistan
 - Bangladesh
- 2. Person belongs to any one of the following minority communities in the respective country.
 - Hindu
 - Sikh
 - Iain
 - Buddhist
 - Parsi
 - Christian
- 3. Person must have been entered in India on or before 31st December, 2014.
- 4. A Person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for seven years before making an application for registration.
 - ❖ For the purpose of clause (c) an applicant shall be deemed to be ordinarily resident in India if-
 - I. He has resided in India throughout the period of 12 months immediately before making an application for registration; and
 - II. He has resided in India during the 8 years immediately preceding the said period of 12 months for a period of not less than 6 years.

The applicants are advised to carefully go through the provisions of the Citizenship Act, 1955 and rules framed there under to determine their eligibility for Indian citizenship.

Required Documents

Documents required to be uploaded

- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1A (Annexure 1)
- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1B (Annexure 2)
- ❖ An Affidavit in format as in Schedule 1C (Annexure 3)
- ❖ A copy of the valid or expired Foreign Passport, If available
- ❖ A copy of the valid or expired Residential Permit, If available
- Evidence of his/her husband's wife's Indian nationality viz. copy of Indian passport or birth certificate
- ❖ A copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage

Guidelines for uploading documents

- ❖ Please Scan the above documents and save in PDF format.
- Each Document can contain multiple pages.
- ❖ Each PDF Document should not exceed size more than 2048kb(2MB).

Images required to be uploaded

- ❖ Applicant requires uploading passport size photograph.
- Applicant requires uploading signature.

Guidelines for Uploading Images

- Image Dimension of passport size photograph should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- Image Dimension of signature should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- ❖ Ensure that the size of the scanned image is not more than 20kb.
- Uploading images should be in jpg format only.
- ❖ Use the Microsoft picture manager for resizing the images if necessary

Passport particulars, visa and exemptions

1. Passport particulars (Passport country, Passport Number and Passport valid up to):

Passport particulars are optional.

- In case passport particulars are not being provided:
 - a. Do not select from the Passport Country, do not enter Passport Number, and do not choose date for Passport Valid Up To.
 - b. It is not permissible to fill one or two fields while leaving rest blank.
- In case of passport particulars are being provided:
 - c. If passport is available and it is valid, provide all three of them while filling the form.
 - d. If passport is available but expired, provide all three of them while filling the form.
- 2. Visa (Visa Valid up to):

"Visa Valid up to" field is optional.

- ❖ In case of "Visa Valid up to" is not being provided:
 - a. Do not choose any date for "Visa Valid up to" from calendar.
- ❖ In case of "Visa Valid up to" is being provided:
 - b. If visa is available and it is valid, choose future date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.
 - c. If visa is available but expired, choose past date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.

Registration of a minor child under Section 6B of the citizenship act, 1955 fulfilling the conditions under Section 5(1)(d) of the Act

Eligibility Criteria

- 1. Person must be national of any one of the following countries.
 - Pakistan
 - ❖ Afghanistan
 - Bangladesh
- 2. Person belongs to any one of the following minority communities in the respective country.
 - Hindu
 - Sikh
 - Jain
 - Buddhist
 - Parsi
 - Christian
- 3. Person must have been entered in India on or before 31st December, 2014.
- 4. Person who has not attained the age of 18 years is considered as minor.
 - Minor children of persons who are citizens of India.

The applicants are advised to carefully go through the provisions of the Citizenship Act, 1955 and rules framed there under to determine their eligibility for Indian citizenship.

Required Documents

Documents required to be uploaded

- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1A (Annexure 1)
- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1B (Annexure 2)
- ❖ An Affidavit in format as in Schedule 1C (Annexure 3)
- ❖ A copy of the valid or expired Foreign Passport, If available
- ❖ A copy of the valid or expired Residential Permit, If available
- Proof of Indian citizenship of both the parents viz. copy of Indian passport/birth certificate.
- ❖ In case of guardian, enclose proof of guardianship.

Guidelines for uploading documents

- ❖ Please Scan the above documents and save in PDF format.
- Each Document can contain multiple pages.
- Each PDF Document should not exceed size more than 2048kb(2MB).

Images required to be uploaded

- ❖ Applicant requires uploading passport size photograph.
- ❖ Applicant requires uploading signature.

Guidelines for Uploading Images

- Image Dimension of passport size photograph should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- ❖ Image Dimension of signature should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- ❖ Ensure that the size of the scanned image is not more than 20kb.
- Uploading images should be in jpg format only.
- Use the Microsoft picture manager for resizing the images if necessary

Passport particulars, visa and exemptions

1. Passport particulars (Passport country, Passport Number and Passport valid up to):

Passport particulars are optional.

- ❖ In case passport particulars are not being provided:
 - a. Do not select from the Passport Country, do not enter Passport Number, and do not choose date for Passport Valid Up To.
 - b. It is not permissible to fill one or two fields while leaving rest blank.
- ❖ In case of passport particulars are being provided:
 - c. If passport is available and it is valid, provide all three of them while filling the form.
 - d. If passport is available but expired, provide all three of them while filling the form.

- ❖ In case of "Visa Valid up to" is not being provided:
 - a. Do not choose any date for "Visa Valid up to" from calendar.
- ❖ In case of "Visa Valid up to" is being provided:
 - b. If visa is available and it is valid, choose future date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.
 - c. If visa is available but expired, choose past date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.

Registration as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955 made by a person whose parents are registered as citizens of India under Section 5(1)(a) or Section 6(1) fulfilling the conditions under Section 5(1)(e) of the Act

Eligibility Criteria

- 1. Person must be national of any one of the following countries.
 - Pakistan
 - Afghanistan
 - ❖ Bangladesh
- 2. Person belongs to any one of the following minority communities in the respective country.
 - Hindu
 - Sikh
 - Jain
 - Buddhist
 - Parsi
 - Christian
- 3. Person must have been entered in India on or before 31st December, 2014.
- 4. Person of full age and capacity whose parents are registered as citizens of India Under Section 5 (1) (a) or under sub-section (1) of section 6.
 - Full age means 18 years of age and above.

The applicants are advised to carefully go through the provisions of the Citizenship Act, 1955 and rules framed there under to determine their eligibility for Indian citizenship.

Required Documents

Documents required to be uploaded

- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1A (Annexure 1)
- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1B (Annexure 2)
- ❖ An Affidavit in format as in Schedule 1C (Annexure 3)
- ❖ A copy of the valid or expired Foreign Passport, If available
- ❖ A copy of the valid or expired Residential Permit, If available
- Copies of Indian Citizenship Certificates issued under Section 5(1)(a) or 6(1) of the Citizenship Act, 1955 of borth the parents.

Guidelines for uploading documents

- ❖ Please Scan the above documents and save in PDF format.
- Each Document can contain multiple pages.
- Each PDF Document should not exceed size more than 2048kb(2MB).

Images required to be uploaded

- ❖ Applicant requires uploading passport size photograph.
- ❖ Applicant requires uploading signature.

Guidelines for Uploading Images

- Image Dimension of passport size photograph should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- Image Dimension of signature should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- ❖ Ensure that the size of the scanned image is not more than 20kb.
- Uploading images should be in jpg format only.
- Use the Microsoft picture manager for resizing the images if necessary

Passport particulars, visa and exemptions

1. Passport particulars (Passport country, Passport Number and Passport valid up to):

Passport particulars are optional.

- ❖ In case passport particulars are not being provided:
 - a. Do not select from the Passport Country, do not enter Passport Number, and do not choose date for Passport Valid Up To.
 - b. It is not permissible to fill one or two fields while leaving rest blank.
- In case of passport particulars are being provided:
 - c. If passport is available and it is valid, provide all three of them while filling the form.
 - d. If passport is available but expired, provide all three of them while filling the form.

- ❖ In case of "Visa Valid up to" is not being provided:
 - a. Do not choose any date for "Visa Valid up to" from calendar.
- ❖ In case of "Visa Valid up to" is being provided:
 - b. If visa is available and it is valid, choose future date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.
 - c. If visa is available but expired, choose past date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.

Registration as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955 made by a person who or either of the parents was a citizen of independent India fulfilling the conditions under Section 5(1)(f) of the Act

Eligibility Criteria

- 1. Person must be national of any one of the following countries.
 - Pakistan
 - ❖ Afghanistan
 - ❖ Bangladesh
- 2. Person belongs to any one of the following minority communities in the respective country.
 - Hindu
 - ❖ Sikh
 - Jain
 - Buddhist
 - Parsi
 - Christian
- 3. Person must have been entered in India on or before 31st December, 2014.
- 4. A person of full age and capacity who, or either of his parents, was earlier citizen of Independent India, and has been residing in India for one year immediately before making an application for registration.
 - Full age means 18 years of age and above.
 - One year stay means continuous stay for a period of 1 year immediately before making an application for registration as citizen of India.

The applicants are advised to carefully go through the provisions of the Citizenship Act, 1955 and rules framed there under to determine their eligibility for Indian citizenship.

Required Documents

Documents required to be uploaded

- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1A (Annexure 1)
- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1B (Annexure 2)
- ❖ An Affidavit in format as in Schedule 1C (Annexure 3)
- ❖ A copy of the valid or expired Foreign Passport, If available
- ❖ A copy of the valid or expired Residential Permit, If available
- Evidence that the applicant or either of his parents was a citizen of Independent India viz. copy of passport or birth certificate.

Guidelines for uploading documents

- ❖ Please Scan the above documents and save in PDF format.
- Each Document can contain multiple pages.
- Each PDF Document should not exceed size more than 2048kb(2MB).

Images required to be uploaded

- ❖ Applicant requires uploading passport size photograph.
- ❖ Applicant requires uploading signature.

Guidelines for Uploading Images

- Image Dimension of passport size photograph should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- Image Dimension of signature should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- ❖ Ensure that the size of the scanned image is not more than 20kb.
- Uploading images should be in jpg format only.
- Use the Microsoft picture manager for resizing the images if necessary

Passport particulars, visa and exemptions

1. Passport particulars (Passport country, Passport Number and Passport valid up to):

Passport particulars are optional.

- ❖ In case passport particulars are not being provided:
 - a. Do not select from the Passport Country, do not enter Passport Number, and do not choose date for Passport Valid Up To.
 - b. It is not permissible to fill one or two fields while leaving rest blank.
- In case of passport particulars are being provided:
 - c. If passport is available and it is valid, provide all three of them while filling the form.
 - d. If passport is available but expired, provide all three of them while filling the form.

- ❖ In case of "Visa Valid up to" is not being provided:
 - a. Do not choose any date for "Visa Valid up to" from calendar.
- ❖ In case of "Visa Valid up to" is being provided:
 - b. If visa is available and it is valid, choose future date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.
 - c. If visa is available but expired, choose past date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.

Registration as a citizen of India under Section 6B of the Citizenship Act, 1955 made by a person who is registered as an overseas citizen of India cardholder under Section 7a fulfilling the conditions under Section 5(1)(g) of the Act

Eligibility Criteria

- 1. Person must be national of following country.
 - Afghanistan
- 2. Person belongs to any one of the following minority communities in the respective country.
 - Hindu
 - Sikh
 - Iain
 - Buddhist
 - Parsi
 - Christian
- 3. Person must have been entered in India on or before 31st December, 2014.
- 4. A person of full age and capacity who has been registered as an overseas citizen of India for five years, and who has been residing in India for one year before making an application.
 - Full age means 18 years of age and above.
 - OCI card should be at least 5 years old.

The applicants are advised to carefully go through the provisions of the Citizenship Act, 1955 and rules framed there under to determine their eligibility for Indian citizenship.

Required Documents

Documents required to be uploaded

- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1A (Annexure 1)
- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1B (Annexure 2)
- ❖ An Affidavit in format as in Schedule 1C (Annexure 3A copy of the valid or expired Foreign Passport, If available
- ❖ A copy of the certificate of registration as overseas citizen of India cardholder under section 7A

Guidelines for uploading documents

- Please Scan the above documents and save in PDF format.
- ❖ Each Document can contain multiple pages.
- ❖ Each PDF Document should not exceed size more than 2048kb(2MB).

Images required to be uploaded

- ❖ Applicant requires uploading passport size photograph.
- Applicant requires uploading signature.

Guidelines for Uploading Images

- Image Dimension of passport size photograph should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- Image Dimension of signature should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- ❖ Ensure that the sizes of the scanned image are not more than 20kb.
- Uploading images should be in jpg format only.
- Use the Microsoft picture manager for resizing the images if necessary

Passport particulars, visa and exemptions

1. Passport particulars (Passport country, Passport Number and Passport valid up to):

Passport particulars are optional.

- ❖ In case passport particulars are not being provided:
 - a. Do not select from the Passport Country, do not enter Passport Number, and do not choose date for Passport Valid Up To.
 - b. It is not permissible to fill one or two fields while leaving rest blank.
- In case of passport particulars are being provided:
 - c. If passport is available and it is valid, provide all three of them while filling the form.
 - d. If passport is available but expired, provide all three of them while filling the form.

- In case of "Visa Valid up to" is not being provided:
 - a. Do not choose any date for "Visa Valid up to" from calendar.
- ❖ In case of "Visa Valid up to" is being provided:
 - b. If visa is available and it is valid, choose future date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.
 - c. If visa is available but expired, choose past date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.

Eligibility Criteria

- 1. Person must be national of any one of the following countries.
 - Pakistan
 - ❖ Afghanistan
 - ❖ Bangladesh
- 2. Person belongs to any one of the following minority communities in the respective country.
 - Hindu
 - ❖ Sikh
 - Iain
 - Buddhist
 - Parsi
 - Christian
- 3. Person must have been entered in India on or before 31st December, 2014.
- 4. A person of full age and capacity may apply for grant of citizenship under this section. A person is qualified under naturalization, if he/she fulfils the following criteria:
 - ❖ He/she has either resided in India or been in the service of a Government in India or partly the one and partly the other, throughout the period of 12 months immediately preceding the date of the application; and
 - ❖ During the fourteen years immediately preceding the said period of twelve months, he/ she has either resided in India or been in the service of a Government of India, or partly the one and partly the other, for periods amounting in the aggregate to not less than five years; and
 - ❖ He/ She is of a good character; and
 - ❖ He/ She have an adequate knowledge of a language specified in the Eighth Schedule to the Constitution.

The applicants are advised to carefully go through the provisions of the Citizenship Act, 1955 and rules framed there under to determine their eligibility for Indian citizenship.

Required Documents

Documents required to be uploaded

- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1A (Annexure 1)
- ❖ A copy of any one of the document in Schedule 1B (Annexure 2)
- ❖ An Affidavit in format as in Schedule 1C (Annexure 3)
- ❖ A copy of the valid or expired Foreign Passport, If available
- ❖ A copy of the valid or expired Residential Permit, If available
- One affidavit from self (applicant) and one affidavit from an Indian national testifying to the character of the applicant in the prescribed language available in the application form

Guidelines for uploading documents

- ❖ Please Scan the above documents and save in PDF format.
- Each Document can contain multiple pages.
- ❖ Each PDF Document should not exceed size more than 2048kb(2MB).

Images required to be uploaded

- ❖ Applicant requires uploading passport size photograph.
- Applicant requires uploading signature.

Guidelines for Uploading Images

- Image Dimension of passport size photograph should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- ❖ Image Dimension of signature should be 100(Width) * 120(Height) Pixel only.
- ❖ Ensure that the sizes of the scanned image are not more than 20kb.
- Uploading images should be in jpg format only.
- Use the Microsoft picture manager for resizing the images if necessary

Passport particulars, visa and exemptions

1. Passport particulars (Passport country, Passport Number and Passport valid up to):

Passport particulars are optional.

- ❖ In case passport particulars are not being provided:
 - a. Do not select from the Passport Country, do not enter Passport Number, and do not choose date for Passport Valid Up To.
 - b. It is not permissible to fill one or two fields while leaving rest blank.
- ❖ In case of passport particulars are being provided:
 - a. If passport is available and it is valid, provide all three of them while filling the form.
 - b. If passport is available but expired, provide all three of them while filling the form.
- 2. Visa (Visa Valid up to):

- ❖ In case of "Visa Valid up to" is not being provided:
 - a. Do not choose any date for "Visa Valid up to" from calendar.
- In case of "Visa Valid up to" is being provided:
 - b. If visa is available and it is valid, choose future date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.
 - c. If visa is available but expired, choose past date from the calendar for "valid up to" field, while filling the form.

Annexure 1

Schedule 1A

[Refer rule 10A]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

List of Documents to prove that the applicant is a national of Afghanistan or Bangladesh or Pakistan [for applicants submitting application under section 6B]

- 1. Copy of the passport issued by the government of Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
- 2. Registration Certificate or Residential Permit issued by the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO) or Foreigners Registration Officer (FRO) in India
- 3. Birth certificate issued by a Government authority in Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
- 4. School certificate or educational certificate issued by the School or College or Board or University authorities in Afghanistan, Bangladesh or Pakistan
- 5. Identity Document of any kind issued by Government of Afghanistan or Bangladesh or Pakistan or any other Government authorities or Government agencies in these countries
- 6. Any License or Certificate issued by a Government authority of Afghanistan, Bangladesh or Pakistan
- 7. Land or tenancy records in Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
- 8. Any document that shows that either of the parents or grandparents or great grandparents of the applicant is or had been a citizen of one of the three countries i.e. Afghanistan or Bangladesh or Pakistan
- 9. Any other document issued by a Government authority or a Government agency in Afghanistan or Bangladesh or Pakistan which will establish that the applicant is from Afghanistan or Bangladesh or Pakistan

Note: The Above documents will be admissible even beyond their validity period.

Annexure 2

Schedule 1B

[Refer rule 10A]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

- 1. Copy of visa and immigration stamp on arrival in India
- 2. Registration Certificate or Residential Permit issued by the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO) or Foreigners Registration Officer (FRO) in India
- 3. Slip issued by the Census Enumerators in India to such persons while conducting census related survey
- 4. Government issued license or certificate or permit in India (Including Driving License, Aadhaar Card etc.)
- 5. Ration Card of the applicant issued in India
- 6. Any letter issued by the Government or Court to the applicant with official stamp
- 7. Birth certificate of the applicant issued in India
- 8. Land or tenancy records or registered rental agreement in India in the name of the applicant
- 9. PAN Card issuance document bearing the date of issuance
- 10. Any other document issued by the Central Government or State Government or any Public Sector Undertakings of Central Government or State Government or any financial institutions like Banks or any other Public Authority
- 11. Certificate issued by an elected member of any rural or urban body or officer thereof or a revenue officer
- 12. Record and account details relating to and issued by the Banks (Including Private Banks) or Post Office accounts in the name of the applicant
- 13. Insurance policies issued by the Insurance companies in India in the name of the applicant
- 14. Electricity connection papers or Electricity Bills or other Utility Bills in the name of the applicant
- 15. Court or Tribunal Records or Processes in India in respect of the applicant
- 16. Document showing service or employment under any employer in India supported by Employees Provident Fund (EPF)/ General Provident Fund/ Pension/ Employees State Insurance

Corporation (ESIC) documents

- 17. School leaving certificate of the applicant issued in India
- 18. Academic certificate issued by a school or college or a board or a university or a government institution
- 19. Municipality trade license issued to the applicant
- 20. Marriage Certificate

List of Documents to prove that the applicant has entered into India on or before 31.12.2014 [for applicants submitting application under section 6B]

Note: (i) The above documents should have been issued by an Indian Authority and will be admissible even beyond their validity period

(ii) The documents should establish that the applicant had entered India on or before 31.12.2014

Annexure 3

Schedule 1C

[Refer rule 10A]

THE CITIZENSHIP RULES, 2009

Specimen of the Affidavit to be sworn before and attested by a judicial Magistrate or an Executive Magistrate or an Oath Commissioner or a Notary Public to be submitted along with the application [To be executed on non-judicial stamp paper of rupees Ten]

SCHEDULE 1C

<u>AFFIDAVIT</u>
I, Son/ daughter/ wife of Resident of
o hereby solemnly declare and affirm as follows: -
(v) That I am an Afghan/ Bangladeshi/ Pakistani national belonging to Hindu/ Sikh/ Buddhist/ Jain/Parsi/ Christian community in that country (<i>strike out whichever is not applicable</i>) on the date of my entry into India and continue to belong to this community on the date of submission of this applicationand was residing at
(vi) That I am exempted by the Central Government under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 and from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder in terms of Ministry of Home Affairs Notification No. G.S.R. 685(E) and Order No, G.S.R. 686(E) dated 07.09.2015 and Notification No. G.S.R. 702(E) and Order No. G.S.R. 703(E) dated 18.07.2016.
(vii)That I entered into India on(Date, month and year to be given as available)
(viii) I am aware that it is an offence under the Citizenship Act, 1955 to make a false representation or concealment of any material fact and that if it is found later that wrong information has been furnished by me in this Affidavit and/ or in the Eligibility Certificate, I shall be deprived of my Indian citizenship abinitio.

VERIFICATION

Verified at (Place) this day of
DEPONENT
Attestation with stamp
*ELIGIBILITY CERTIFICATE
(Format of the Eligibility Certificate from the locally reputed community institution)
TO WHOMSOVER IT MAY CONCERN
I(Name), son/ daughter/ wife of(name) residing at(Full postal address) hereby confirm that Mr. /Mrs. /Ms.
(name of the Afghan/ Bangladeshi/ Pakistani national) Son/daughter/ wife of
(name), residing at
Date: Place".
(Signature) Name of person giving the certificate Name and address of the community InstitutionTelephone/ Mobile No. :